# WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

# MASIK PATRIKA

# JUNE 2024

**Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA**

**Phone No. 0121- 2661238, 2661177;** **Fax: 0121-4346686**

**E-mail:**wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

**Patrika Committee**

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Prashant Kumar

# INDEX


- रिटर्न भरने से पहले जांच लें एआइएस
- एक क्लिक पर एक जगह सभी आयकर नोटिस देख सकेंगे
- करदाता लेन-देन के विवरण पर आपत्ति दर्ज कर सकेंगे
- आयकर विभाग का नोटिस असली या नकली, ऐसे करें पहचान
- ज्यादा नकदी निकालने पर भी बैंक ग्राहक से वसूल सकते हैं अतिरिक्त सुविधा शुल्क
- आधार और यूपीआई जैसी सेवाएं एक पोर्टल पर मिलेंगी
- क्रेडिट कार्ड: बकाया भुगतान के लिए मिलेंगे तीन दिन अतिरिक्त
- बिजली उपभोक्ताओं को जमा सिक्योरिटी पर ब्याज मिलेगा
- पैन सत्यापन के बिना डाकघर में निवेश नहीं
- **Mandatory E Way Bill required (without any Value Limit) in case of Inter State Movement of Goods for "Job Work"**
- **Taxpayers can now see if feedback is acted upon by reporting entities: Govt**
- **Govt to handhold exporters for defending RoDTEP benefits**
- **Five states ready for GST registration based on Aadhaar technology**
- **Bringing natural gas under GST will lead to faster adoption: Oil secy**

# रिटर्न भरने से पहले जांच लें एआइएस

आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने से पहले अपना वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) जरूर चेक कर लें। उस विवरण में कोई गलती है तो इनकम टैक्स विभाग को अपना फीडबैक भी दे ताकि उस गलती को विभाग सुधार सके। अभी एआईएस में रियल टाइम फीडबैक देने की सुविधा नहीं है। पहली बार इनकम टैक्स विभाग की तरफ से यह सुविधा शुरू की गई है। एआईएस में साल भर के दौरान किए गए वैसे सभी वित्तीय लेन-देन का पूरा विवरण होता है जिस पर टैक्स लिया जा सकता है।

आईटीआर से जुड़े ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने एआईएस को देखा जा सकता है। अब एआईएस में दिखाए गए विवरण पर रियल टाइम फीडबैक भी दे सकेंगे। वह फीडबैक उसी समय उस सोर्स के पास चला जाएगा जहां से इनकम टैक्स विभाग ने वह जानकारी ली है। फिर उस सोर्स ने क्या जवाब दिया है, इसकी जानकारी भी आयकरदाता को मिल जाएगी। जानकारी में बदलाव की जरूरत है तो एआईएस में संशोधन कर दिया जाएगा। टैक्स विशेषज्ञों ने बताया कि नौकरी करने वाला एक आदमी म्युचुअल फंड, शेयर बाजार, एलआईसी जैसी कई जगहों पर निवेश करता है और खरीद-फरोख्त करता है। म्युचुअल फंड कंपनी, शेयर बाजार जैसे माध्यम इनकम टैक्स विभाग को हमारी खरीद-फरोख्त की जानकारी देते हैं।


**SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT. LTD.**

*Manufacturer & Exporters of:*

**Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt.**

**Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001**
**Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160**
**Fax: 0121-2558402**
**Email: sales@sarucopper.com, info@sarocopper.com**
**Website: www.sarucopper.com**

लेकिन इसमें गलती भी हो सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 60,000 रुपए मूल्य के शेयर बेचे, लेकिन एआईएस में यह दिखा रहा है कि उसने एक लाख रुपए के शेयर बेचा है। इस जानकारी पर वह अपना फीडबैक देगा जो शेयर कंपनी के पास चला जाएगा और अगर वह कंपनी यह फीडबैंक देता है कि हां, उस व्यक्ति ने एक लाख रुपए का नहीं, 60,000 रुपए मूल्य का शेयर बेचा है तो इनकम टैक्स विभाग एआईएस में संशोधन कर देगा। अगर वह इस फीडबैक को अस्वीकार कर देता है तो एआईएस में कोई बदलाव नहीं होगा।

- इसका फायदा यह होगा कि लोग बिल्कुल सही आईटीआर भर सकेंगे। अभी अगर एआईएस में गलत सूचना भी होती है तो लोग उसे सही मानकर टैक्स भर देते हैं। इस सुविधा से पारदर्शिता बढ़ेगी और अनुपालन आसान हो जाएगा। एआईएस के विवरण पर फीडबैक देने के बाद सोर्स की तरफ दी गई प्रतिक्रिया की तारीख तक की जानकारी आयकरदाता को मिलेगी।

- गलती होने पर करदाता को ठीक करने का मिलेगा एक मौका
- वार्षिक सूचना विवरण रियल टाइम फीडबैक की सुविधा शुरू
- शेयर बाजार जैसे माध्यम देते हैं खरीद- फरोख्त की सूचना

## एक क्लिक पर एक जगह सभी आयकर नोटिस देख सकेंगे

आयकर विभाग ने अपने पोर्टल पर करदाताओं के लिए नई सुविधा की शुरुआत की है। इस फीचर की मदद से एक ही क्लिक में आयकरदाता को आयकर विभाग की ओर से भेजे गए सारे नोटिस एक ही जगह मिल जाएंगे। इससे नोटिसों को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। यह फीचर नए ई-प्रोसीडिंग सेक्शन में जोड़ा गया है।

आयकर विभाग ने एफएक्यू (प्रश्नोउत्तरी) जारी कर इस नए फीचर के बारे में बताया है। एफएक्यू में कहा गया है कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध ई-प्रोसीडिंग टैब में विभाग की ओर से जारी किये गए सभी नोटिस, इंटिमेशन और पत्रों को एक ही स्थान

पर देखा जा सकता है। नए टैब पर क्लिक करते ही सभी नोटिस और लंबित कर प्रक्रिया को करदाता ट्रैक कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन तरीके से तुरंत जवाब दे सकते हैं। टैब में सर्च का विकल्प भी दिया गया है ताकि करदाता कोई खास नोटिस आसानी से खोज सके।

## कब जारी होता है नोटिस

जब करदाता आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करता है या बैंक ब्याज, किराए या प्रॉपर्टी को बेचने से हुई आय समेत अन्य लेनदेन की जानकारी नहीं देता है, तब विभाग आयकर की विभिन्न धाराओं के तहत नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगता है। इसके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

## इनका ब्योरा मिलेगा

- धारा 139 (9) के तहत दोषपूर्ण नोटिस, धारा 245 के तहतसूचनाएं
- धारा 143 (1) (ए) के तहत प्रथम दृष्टया समायोजन
- धारा 154 के सुओ मोटो सुधार
- किसी अन्य आयकर प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस
- विभाग द्वारा स्पष्टीकरण के लिए मांगी जाने वाली सूचनाएं
- दूसरे तरह के अन्य सभी नोटिस

VK TYRE INDIA LIMITED

*Manufacturers & Exporters of:*
Automobile & Agriculture Tyres
Sybly Industrial Area, Pawanpuri,Muradnagar- 201206
Mob. No.: 9568129777, 7900200100
Email: info@vktyre.com
Website: www.vktyre.com

## ऐसे देख पाएंगे

- आयकर विभाग के पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर लॉगइन करें।
- डैशबोर्ड से पेंडिंग एक्शन सेक्शन में जाएं। यहां ई- प्रोसीडिंग का विकल्प चुनें।
- यहां विलंबित कर प्रक्रिया और भेजे गए नोटिस के लिंक दिखाई देंगे।
- जवाब देने के लिए व्यक्तिगत या अधिकृत प्रतिनिधि का विकल्प चुनना होगा।

## करदाता लेन-देन के विवरण पर आपत्ति दर्ज कर सकेंगे

आयकर विभाग ने वार्षिक सूचना विवरण से जुड़ी एक नई सुविधा की शुरुआत की है। विभाग का दावा है कि इससे करदाता के वित्तीय लेन-देन के ब्योरे में पारदर्शिता आएगी।

इसके जरिए करदाता किसी लेन-देन के बारे में अपनी सफाई या प्रतिक्रिया दे सकेगा। इसे फीडबैक मैकेनिज्म नाम दिया गया है। एआईएस यानी वार्षिक सूचना विवरण में करदाता के ऐसे सभी लेन-देन की जानकारी शामिल होती है, जिस पर कर देयता बन सकती है।


**SHUBHAM ORGANICS LIMITED**

*Mfrs. of:*
***Pharmaceuticals Industrial Chemicals,***
***Bulk Drugs & Drug Intermediates***

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

**कैसे होगा एआईएस में दर्ज हुई भूल में सुधार:** करदाता किसी लेन-देन पर प्रतिक्रिया देने के बाद उसके स्थिति को देख सकता है। उसकी प्रतिक्रिया वित्तीय लेन-देन करने वाले स्रोत के पास चली जाएगी। वह स्त्रोत आपकी टिप्पणी पर एक्शन लेगा। वह उसे या तो आंशिक रूप या पूर्ण रूप से स्वीकार कर सकता है। वह इसे ख़ारिज भी कर सकता है। अगर वह इसे पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो वह अपनी जानकारी को सही करेगा। फिर वह सही विवरण आयकर विभाग को भेजेगा। इससे वार्षिक सूचना विवरण में दुरुस्त कर लिया जाएगा।

## आयकर विभाग का नोटिस असली या नकली, ऐसे करें पहचान

हाल के महीनों में साइबर धोखाधड़ी की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। ठग इन घटनाओं को अंजाम देने के लिए लाटरी, लकी ड्रा, विदेश से सामान आना इत्यादि तरीके अपनाते हैं। इन्हीं में एक तरीका है ई-मेल के जरिये इनकम टैक्स संबंधी नोटिस भेजना। कई मामलों में लोग ऐसे नोटिस पाकर परेशान हो जाते हैं। और ठगों के झांसे में आ जाते हैं। यदि आपके पास भी आयकर विभाग के नोटिस संबंधी कोई ई- मेल आता है तो घबराएं नहीं। सबसे पहले इस नोटिस की सत्यता की जांच करें। आप घर बैठे ऑनलाइन इस नोटिस की सत्यता की जांच कर सकते हैं। आयकर विभाग के नोटिस की सत्यता जांचने की प्रक्रिया को लेकर पढ़िए बिजनेस डस्क की रिपोर्ट।

### पूरी तरह से मुक्त है यह सेवा।

आयकर विभाग के ई- फाइलिंग पोर्टल पर नोटिस की सत्यता जांचने संबंधी सेवा पूरी तरह से मुक्त है। कोई भी पंजीकृत करदाता इस सेवा का इस्तेमाल कर सकता है।

## अपने डैशबोर्ड से भी कर सकते हैं जांच

प्रत्येक करदाता को आयकर विभाग के ई- फाइलिंग पोर्टल पर एक अकाउंट होता है। इसमें उस करदाता का डैशबोर्ड बना होता है। इसमें एक नोटिस सेक्शन होता है। यदि करदाता को आयकर विभाग की ओर से कोई नोटिस या अन्य कोई सूचना भेजी गई है तो वह इस सेक्शन में जरूर दिखाई देगी। इससे आप यह पता कर सकते है कि आपको मिला नोटिस असली है या कोई आपके साथ ठगी का प्रयास कर रहा है।

## ऐसे करें सत्यापन

- आयकर विभाग के ई- फाइलिंग पोर्टल https:/www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं।
- यहां क्लिक लिंक्स पर क्लिक करें।
- इसके बाद आयकर विभाग की ओर नोटिस/ आदेश सत्यापन लिंक पर क्लिक करें।
- यहां सत्यापन के लिए दो तरीकों में से एक का चयन करें।
- पहले तरीके में पैन के जरिये नोटिस का सत्यापन करें। इसमें पैन नंबर, सूचना का प्रकार (नोटिस, आदेश, आदि) आकलन वर्ष, नोटिस या आदेश जारी होने की तिथि और वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- दूसरे तरीके में नोटिस में उपलब्ध प्रमाणपत्र पहचान नंबर (डीआइएन) और ओटीपी के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करें
- अब ओटीपी दर्ज करके कंटीन्यू पर क्लिक करें।
- यदि नोटिस असली है तो यह तुरंत इसकी पुष्टि जाएगी। यदि किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलती है तो नोटिस नकली है और इस पर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है।

## केवल ई- मेल के जरिये सूचनाएं भेजता है आयकर विभाग

सीए मनीष गुप्ता का कहना है कि आयकर विभाग सभी प्रकार की सूचनाएं केवल ई-मेल के जरिये भेजता है। आयकर विभाग के अधिकारी किसी भी करदाता को निजी तौर पर फोन करके कोई जानकारी नहीं देते हैं। आयकर विभाग केवल incometax.gov.in के जरिये ही ई- मेल भेजता है।

## साइबर अपराध पर अंकुश के लिए सरकार भी सक्रिय

साइबर अपराध पर अंकुश के लिए सरकार भी सक्रिय है। हाल ही में इंडियन साइबर क्राइम को ओर्डिनेशन सेंटर ने धोखाधड़ी से जुड़ी एक हजार से ज्यादा स्काइप आइडी को ब्लाक किया है। दूरसंचार विभाग के अनुसार, साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए 30.14 लाख ऐसे मोबाइल नंबर बंद किए गए है जो दूसरे के नाम पर चल रहे था। साथ ही साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में लिप्त 1.58 लाख मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक किया गया है।

SANGAL PAPERS LTD.

*Manufacturing Papers Based on Customer Needs*

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 27432

## ज्यादा नकदी निकालने पर भी बैंक ग्राहक से वसूल सकते हैं अतिरिक्त सुविधा शुल्क

## झटका: दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करने पर शुल्क बढ़ेगा

क्या आप अपने बैंक के अलावा किसी दूसरे बैंक के एटीएम यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बता दें कि इसका शुल्क बढ़ाने की तैयारी लगभग हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एटीएम पर आने वाले खर्च या लागत पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है। एक सूत्र के मुताबिक नई सरकार के शपथ ग्रहण करने के बाद शुल्क में बदलाव हो सकते हैं।

जानकारी के मुताबिक दूसरे बैंक के एटीएम से रकम निकालने या लेनदेन करने पर शुल्क (इंटरचेंज शुल्क) बढ़ाकर 20 से 23 रुपये तक किया जा सकता है और ज्यादा नकदी निकालने पर अतिरिक्त सुविधा शुल्क भी लिया जा सकता है। जिन इलाकों में बैंकों की पैठ या एटीएम कम हैं वहां शुल्क कम रखने पर भी विचार किया जा रहा है ताकि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) के लाभार्थी एटीएम से आराम से रकम निकाल सकें।

# आधार और यूपीआई जैसी सेवाएं एक पोर्टल पर मिलेंगी

केंद्र सरकार एक नया एकीकृत पोर्टल लाने जा रही है। इस पोर्टल पर आधार, यूपीआई और सरकारी ई-कॉमर्स पोर्टल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी जैसी सभी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी।

इससे आम लोगों को सुविधा होगी। इन सेवाओं के लिए लोगों को अलग-अलग ऐप और पोर्टल पर नहीं जाना होगा। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए अलग-अलग ऐप्स और पोर्टल मौजूद हैं। भारत में ऑनलाइन की बढ़ती मांग को देखते हुए अब केंद्र सरकार भी ऑनलाइन सेवा के जरिए लोगों के पास अपनी सुविधाएं पहुंचाना चाहती है। आने वाले पांच साल में डिजिटल सेवाओं का वैश्विक बाजार करीब 100 अरब डॉलर के पार जा सकता है। पोर्टल को लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स

और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मैएती ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सभी मंत्रालय और उनसे संबंधित विभागों को बाकी संबंधित एजेंसियों के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रॉस्ट्रक्चर की रुपरेखा तैयार करने का निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

## इनको होगा बड़ा फायदा

मौजूदा वक्त में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग ऐप्स और पोर्टल मौजूद हैं। ऐसे में आम लोगों को इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग ऐप और पोर्टल पर जाना पड़ता है । साथ ही इन सेवाओं के लिए ग्रामीण इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं, वहां डिजिटल सुविधाओं के लिए कंप्यूटर सेंटर पर जाना पड़ता है, वहां पर इन सेवाओं के एवज में मोटा शुल्क लिया जाता है। ऐसे में एक ही जगह सभी सरकारी डिजिटल सेवाएं मौजूद होने से आम लोगों को काफी फायदा होगा।

INDKRAFT EXPORTS

*Manufacturers and Exporters of:*

*Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves*

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

# क्रेडिट कार्ड: बकाया भुगतान के लिए मिलेंगे तीन दिन अतिरिक्त

**उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए आरबीआई ने नियमों में किया संशोधन**

आरबीआई ने पारदर्शिता बढ़ाने व उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में कई बदलाव किए हैं। नए नियमों के तहत आप अपने हिसाब से कार्ड नेटवर्क का चुनाव कर सकते हैं। जरूरत पर क्रेडिट कार्ड को सात दिन में बंद करा सकते हैं। खास बात है कि क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव कर आरबीआई ने उपयोगकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। वह राहत है...बकाया भुगतान के लिए देय तिथि से तीन दिन का अतिरिक्त समय। इसका मतलब है कि अगर आप देय तिथि के तीन दिन बाद भी क्रेडिट कार्ड बकाया चुकाते हैं तो आपको किसी भी तरह का विलंब शुल्क नहीं भरना होगा।

## ...उपयोगकर्ताओं को मिलेगा मुआवजा

संशोधित नियमों के तहत कार्ड जारी करने वाले बैंकों को अनुरोध के सात कार्यदिवसों के भीतर क्रेडिट कार्ड को बंद करना होगा। ऐसा नहीं करने पर वे कार्डधारक को विलंब शुल्क के रूप में प्रतिदिन 500 का भुगतान करेंगे।

- कार्ड जारीकर्ता अगर आपके अनुरोध तिथि से कार्ड बंद करने में 10 दिन लगाते हैं, तो इसे तीन दिन विलंब माना जाएगा। इस देरी के लिए वे क्रेडिट कार्डधारक को 1,500 रुपये का मुआवजा देंगे।

## क्रेडिट स्कोर पर असर नहीं

क्रेडिट कार्ड का बकाया चुकाने के लिए देय तिथि के अतिरिक्त आपको तीन दिन मिलेंगे। इस अवधि के बाद ही कार्ड जारीकर्ता इस बकाये पर रिपोर्ट कर सकते हैं या जुर्माना लगा सकते हैं। खास बात है कि इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी प्रभावित नहीं होगा।

- उदाहरण के लिए, अगर बकाया भुगतान की देय तिथि एक मई है और आप 4 मई को भुगतान करते हैं, तो इस पर आपको विलंब शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा।

## बिजनेस क्रेडिट कार्ड

कारोबारी संस्थाएं व एकमात्र प्रोपराइटर बिजनेस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसे चार्ज कार्ड के रूप में जारी किया जाता है और इसमें ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है।

- नए नियमों के तहत कारोबारी संस्थाएं व्यावसायिक खर्चों के लिए व्यक्तिगत कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। यह नियमों-शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।

## 30 दिन के भीतर जरूर सक्रिय कर लें कार्ड

बैंक बाजार के सीईओ आदिल शेट्टी कहते हैं कि  नए नियमों के तहत कार्डधारक अब अपना कार्ड नेटवर्क चुन सकते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार बकाया भुगतान के लिए बिलिंग साइकिल तय कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि क्रेडिट कार्ड को 30 दिनों के भीतर सक्रिय जरूर कर लें। साल में कम-से-कम एक बार अपने कार्ड का उपयोग जरूर करें। ऐसा नहीं करने पर आपका कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।

STAG INTERNATIONAL
*Manufacturers & Exporters of:*
Sports Goods
A-19/20, Udyog Puram, Delhi Road, Meerut- 250103
Ph. No.: 0121-2440976, 2440993, 2441035
Fax: 0121-2441009
Email: stagin@gmail.com, Info@stag.in

## बिजली उपभोक्ताओं को जमा सिक्योरिटी पर ब्याज मिलेगा

प्रदेश के 3.30 करोड़ विधुत उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। उपभोक्ताओं को उनकी जमा सिक्योरिटी राशि पर वर्ष 2023- 2024 के लिए 6.75% की दर से ब्याज मिलेगा। मई जून के बिल में उपभोक्ताओं को ब्याज की धनराशि कम कर बिल बिजली कंपनियां जारी करेंगी। विधुत अधिनियम- 2003 में दिए प्राविधानों के तहत उपभोक्ताओं को प्रत्येक वर्ष उनकी जमा सिक्योरिटी पर मिलने वाले ब्याज को देने का आदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने जारी कर दिया है।

## पैन सत्यापन के बिना डाकघर में निवेश नहीं

पिछले साल एक अप्रैल से डाकघर की योजनाओं में निवेश करने के लिए पैन और आधार का विवरण देना अनिवार्य कर दिया गया था। ताजा जानकारी के अनुसार डाक विभाग निवेशक के पैन की सत्यता का आयकर विभाग के डाटा से मिलान कर फिर से सत्यापित करेगा।

इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि निवेश का पैन और आधार आपस में लिंक हों। इसके अलावा निवेशक ने डाक विभाग की योजना के लिए जो नाम और जन्मतिथि के विवरण दिए हैं, वह सही हैं या नहीं। अगर कोई गड़बड़ी मिलती है तो निवेशक इन योजनाओं में निवेश नहीं कर पाएंगे।

**सत्यापन की प्रणाली में संशोधन:** पैन सत्यापन प्रणाली प्रोटीन ई-गर्व टेक्नोलॉजीज के सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। इसे पहले एनएसडीएल के नाम से जाना जाता था। इससे मिली प्रतिक्रिया के आधार पर पैन को मान्य किया जाता है। पीपीएफ, एनएससी और अन्य छोटी बचत योजनाओं के लिए पैन, आधार अनिवार्य है। सात मई को जारी डाक विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि पैन सत्यापन से संबंधित प्रोटीन प्रणाली को एक मई, 2024 को संशोधित किया गया है।

## निवेशकों के पास आखिरी मौका

अगर आपने अभी तक भी अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, तो इसे फटाफट करा लें। ऐसे लोग जो 30 जून, 2023 की समयसीमा तक पैन-आधार लिंक नहीं करा सके हैं उन पर पेनल्टी लगाने की समयसीमा में आयकर विभाग ने ढील दी है। आयकर विभाग के मुताबिक, 31 मई तक आधार के साथ पैन को लिंक करा लेने पर टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर नियमों के अनुसार करदाता को अपने पैन को अपने आधार नंबर के साथ लिंक करना होता है। अगर ये दोनों लिंक नहीं होते तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना जरूरी है।

## इतने पैन कार्ड हुए निष्क्रिय

आंकड़ों के मुताबिक, पिछले वर्ष यानी साल 2023 में करीब 12 करोड़ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होने की वजह से निष्क्रिय हो गए थे। अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, तो आप बैंक से जुड़ा कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बैंक के लगभग सभी कामों के लिए पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है।

## ये नुकसान होंगे

आपका पैन अब कर संबंधी कार्यों के लिए वैध नहीं होगा। अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो लंबित टैक्स बकाया और उस पर ब्याज जारी नहीं किया जाएगा। वहीं उच्चदर पर स्रोत पर कर की कटौती होगी। अगर पैन आधार से जुड़ा नहीं है, तो लेन-देन करते समय उस पर लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाएगा।

## Mandatory E Way Bill required (without any Value Limit) in case of Inter State Movement of Goods for "Job Work"

- In case of Inter state movement of Goods for Job work, then E-way bill is required in all cases, irrespective of any value
- It is observed that there is general understanding that E way bill is not required for inter statement if value is less than Rs 50,000/-. However this is not applicable for Inter statement movement of goods for Job work as per 3rd proviso to Rule 138(1) of CGST Rules.
- Legal provision in this regards is reproduced below for ready reference –

"Provided also that where goods are sent by a principal located in one State or Union territory to a job worker located in any other State or Union territory, the e-way bill shall be generated either by the principal or the job worker, if registered, irrespective of the value of the consignment"

## Taxpayers can now see if feedback is acted upon by reporting entities: Govt

The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has rolled out a new functionality in Annual Information Statement (AIS) to display the status of information confirmation process.

According to the CBDT, AIS is accessible to every registered income tax payer via the compliance portal, which is reachable through the e-filing website (www.incometax.gov.in). The AIS, which is compiled using financial data gathered from various sources, provides detailed information on financial transactions carried out by taxpayers that could potentially affect tax obligations.

The tax department said within the AIS, taxpayers have been given with the ability to provide feedback on each transaction listed. "This feature enables them to assess the accuracy of the information provided by the source," the department said.

I-T department further said if inaccuracies are identified, an automated process initiates communication with the source for verification. It is important to note that this confirmation process currently applies to information supplied by tax deductors/ collectors and reporting entities.

The department added that the new functionality in AIS will display whether the feedback of the taxpayer has been acted upon by the source, by either, partially or fully accepting or rejecting the same.

"In case of partial or full acceptance, the information is required to be corrected by filing a correction statement by the source. The following attributes shall be visible to the taxpayer for status of Feedback confirmation from source," the department said.

The department said the new functionality is expected to increase transparency by displaying such information in AIS to the taxpayer.

# Govt to handhold exporters for defending RoDTEP benefits

The government is working out a mechanism to help exporters handle the investigations by importing countries on support extended to them under the Remission of Duties and Taxes on Exported Products (RoDTEP) that sometimes leads to the imposition of countervailing duties.

The US investigators have visited exporting units in the past to verify whether the benefit given under RoDTEP is in proportion to the taxes on inputs. In many cases the exporters have not been able to fully establish the link because of some gaps in the documentation.

An official said that the countervailing duties have been imposed by the US and the European Union on certain units only and that too because they could not produce the right documents to the investigation authorities of these nations. There has been no product-wide countervailing duty.

The commerce ministry is helping Indian exporters to maintain documents in the right format and order which can be produced before investigators.

"We will be giving guidance notes from DGTR (directorate general of trade remedies) to units so that whenever an investigation happens, they should be in a position to give the proper documents," the official added.

Besides checking the documents of units, investigation authorities also look at the official verification mechanism to ascertain whether the government is randomly checking the incidence of duties to ensure that the benefits under the RoDTEP are only compensating for taxes and are not some kind of a subsidy. The subsidies for exports can be challenged at the World Trade Organization (WTO).

The RoDTEP scheme was rolled out in response to the successful challenge to five India's five key export promotion schemes by the US at the WTO in 2018. The schemes that were challenged were the Export Oriented Units, Electronics Hardware Technology Park and Bio-Technology Park (EOU/EHTP/BTP) Schemes, the Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme, the Special Economic Zones (SEZ) Scheme, Duty-Free Imports for Exporters Scheme (DFIS), and the Merchandise Exports from India Scheme (MEIS). The RoDTEP scheme covers around 10,436 export items with rates of tax refund ranging from 0.01% to 4.3%.

A government official said, "we are trying to put up a joint verification mechanism of DGFT (directorate general of foreign trade), DGTR and DoR (department of revenue), where officials would randomly verify certain plants/units on the issue and keep record".

Products which the US have investigated – paper file folders, common alloy aluminium sheet, and forged steel fluid end blocks – involved reimbursement of levies like electricity duty, Value Added Tax on fuel or Agricultural Produce Marketing

Committee (AMPC) taxes. The European Commission too has conducted a similar probe on certain graphite electrode systems from India. These investigations led to imposition of countervailing duty on these products.

## Five states ready for GST registration based on Aadhaar technology

Five states, including Karnataka, Tamil Nadu and Telangana, have shown interest in rolling out Aadhaar-based authentication for GST registration, an official said on Monday.

The biometric-based authentication was discussed at the third National Co-ordination Meeting of senior Central and State GST officers earlier this month. Currently, two states, Gujarat and Andhra Pradesh, and the Union Territory of Puducherry have launched the Aadhaar authentication of taxpayers on a pilot basis. "Around five states, including Karnataka, Tamil Nadu and Telangana, have shown interest in implementing Aadhaar-based authentication for GST registration," an official told PTI.

The official further said that these states wanted to assess the cost involved, the infrastructure and manpower requirement for implementing the requirement of biometric authentication for registration.

The data has been provided to them and based on the assessment, these states will have to put the proposal up before the state Cabinets for approval. Goods and Services Tax (GST) authorities have so far been using OTP-based Aadhaar authentication to establish the identity of the applicants, seeking registration. However, with instances coming to light wherein other people's identity was misused to create bogus firms for claiming input tax credit (ITC), the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) had decided to move towards biometric authentication under which in certain suspicious cases, the person seeking registration will be asked to go to an Aadhaar centre to have his biometrics verified.

As per the analysis of April GST revenues, Karnataka is the second biggest contributor, followed by Uttar Pradesh and Tamil Nadu. Maharashtra garnered the largest chunk of revenue during the month.

The GST collections, which include central and state mop-up, breached the Rs 2 trillion milestone in a month in April since the rollout of the unified tax system. Goods and Services Tax collections grew 12.4 per cent to a record high of Rs 2.10 trillion in April. The revenue growth was aided by strong economic momentum and increased domestic transactions and imports.

# Bringing natural gas under GST will lead to faster adoption: Oil secy

Taxation on natural gas remains key to increasing the use of natural gas in the economy, and the government is 'cautiously optimistic' about bringing the fuel within the fold of the Goods and Services Tax (GST) regime in 2024-25, Petroleum Secretary Pankaj Jain said on Wednesday.

Speaking at an online seminar on India's natural gas and LNG sectors by the International Energy Agency (IEA) and the Petroleum Ministry, Jain said bringing natural gas under the ambit of the GST regime would accelerate the shift towards natural gas.

"One big challenge for us continues to be the taxation on gas. Domestic taxes on natural gas are still a work-in-progress. That is affecting the use case for natural gas," Jain said.

He said the government is optimistic about cracking the GST issue in the current year. "We are a federal country. So, it involves negotiations with states and persuading them, and bringing them on board. It is something we are working on. We are cautiously optimistic that we should be able to come up with some kind of resolution around this in 2024-25. If we are able to do that, you will find that the switch from less clean fuels to natural gas starts to make economic sense, and not just moral sense," he stressed.

While he didn't give a timeline, the Secretary said the government is working on it. "It is something which we anticipate. We should be able to make substantial progress during the course of the year," Jain said.

Natural gas is currently outside the ambit of GST, and existing legacy taxes—central excise duty, state VAT, central sales tax—continue to be applicable on the fuel.

Terming taxation as the final element yet to fall into place, Jain said all the other elements, including infrastructure, distribution, and pipelines, are in place.

India has set a target of raising the share of natural gas in the country's primary energy basket to 15 per cent by 2030, up from the current 6.7 per cent.

PASWARA PAPERS LTD.

Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road,
Mohiuddinpur, Meerut (U.P.)
Tel. 0121-4020444, 4056536
Web: www.paswara.com
E-mail: vk@paswara.com

A Pioneer Unit for Manufacturing of:

"MULTILAYER KRAFT PAPER, M.G. KRAFT PAPER & KRAFT BOARD"

# Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

Nipro PharmaPackaging India is part of Nipro Corporation Japan. Nipro, a global healthcare company employs over 35k colleagues and has a culture of high performance, customer focus, and employee engagement. This has led Nipro PharmaPackaging India to being awarded with the certificate of the Great Place to Work – Oct' 22 – Oct'23. In addition to the above achievement, Nipro PharmaPackaging India has now earned its recognition as being one of the top 50 "India's Best Workplaces in Manufacturing 2023".

Ashish Moghe, the Managing Director of Nipro in India, states, "Nipro's dedication to investing in its workforce is a key factor in its success. In 2022, Nipro PharmaPackaging India gathered further pace in the last year and crossed a few milestones. One such milestone was getting certified as a Great Place To Work! The Great Place to Work® Certification Program is the first step for an organization on its journey of building a High-Trust, High-Performance Culture™ and our organization has successfully accomplished this milestone.

To continue the same path of progress and development for us as individuals and as an organization we also enrolled ourselves for assessment for yet another prestigious certification, which is TOP 50India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. This year, 201 organizations in the Manufacturing sector undertook this assessment. All these organizations underwent a rigorous assessment. The results are finally out, and it gives me an immense amount of joy and pride to share that both plants of Nipro PharmaPackaging India (Meerut & Pune) HAVE WON THIS CERTIFICATION!!

I feel honoured to be a part of such a fantastic team. Looking forward to creating many more milestones"

"We are thrilled to receive the recognition as India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. We are committed to fostering an environment of transparency, teamwork, and participation. Our organization promotes bonding among colleagues and encourages continuous improvement.Our team takes pride in working for a Great Place to Work certified company, and this recognition not only attracts top talent but also builds loyalty among our employees. The Trust Index study conducted by Great Place to Work provides valuable insights for us to improve as an organization. We strive to be an employer of choice and this recognition is a testament to our efforts.", states Mr. Juned Akhtar(General Manager- Human Resource, Nipro PharmaPackaging India Pvt. Ltd.

## न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या–194/36 –3–2014–07 (न्यू0वे0)/4 दिनांक: 28–1–2014 द्वारा 59 तथा अधिसूचना संख्या–850/36–03 –2019 –931(न्यू0वे0)/06 दिनांक:: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 के औसत अंक 400 पर दिनांक: 1–04–2024 से 30–9–2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:–

दृष्टान्त–रूपये 5750/–प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–400 पर दिनांक: 1–04–2024 से 30–9–2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(400–216)

..... X5750= रू0–4898/–प्रतिमाह

216

**विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी,परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें ।**

| कर्मांक | श्रेणी | प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में | दिनांक:1.10.2023 से 31.3.2024 तक कुल मजदूरी (रूपये में) | परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0 में | दिनांक:1.04.2024 से 30.9.2024 तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | दिनांक:1.04.2024 से 30.9.2024 तक | कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5) | दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | अकुशल | 5750 | 10275 | 4898 | 10648 | 410 |
| 2 | अर्धकुशल | 6325 | 11303 | 5388 | 11713 | 451 |
| 3 | कुशल | 7085 | 12661 | 6035 | 13120 | 505 |

2 ईंट भट्ठा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् है:–

| कर्मांक | श्रेणी | दिनांक:1.04.2024 से 30.9.2024 तक | | |
|---|---|---|---|---|
| 1<br>2 | अकुशल<br>कुशल | उपरोक्त तालिका के कर्मांक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा | | |
| | | मूल मजदूरी | परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0 में | कुल मजदूरी(रूपये में) |
| 2 | पथेरा | रू0–365 | रू0–311 | रूपया–676/– प्रति हजार |
| | भराईवाला<br>(1) 500 मीटर की दूरी तक<br>(2) 500 मीटर से अधिक | <br>रू0–110<br>रू0–132 | <br>रू0–94<br>रू0–112 | <br>रूपया–204/– प्रति हजार<br>रूपया–244/– प्रति हजार |
| 3 | निकासी वाला | रू0–110 | रू0–94 | रूपया–204/– प्रति हजार |

1 रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद(टायर और ट्यूब सहित) के उद्योग।
2 प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग
3 मिष्ठान उद्योग।
4 वासित पेयो(एरोटेड ड्रिंक्स) के विनिर्माण।
5 फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6 परतदार लकड़ी(प्लाईवुड) के उद्योग।
7 पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
8 डेरी और मिल्क डेरी।
9 सिल सिलाये कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10 बाँध तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण, सिंचाई परियोजनाओं कुओं और तालाबों की खुदाई।
11 उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिनका उल्लेख पहले नही किया गया है।
12 प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरी सामान की दुकानों।
13 ढलाई घर।
14 धातु उद्योग।
15 टिन प्लेट शॉपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16 ऐसे अभियन्त्रण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17 चर्म शोधनशाला और चर्म विनिर्माणशाला।
18 चर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19 होजरी सकर्म।
20 निजी पुस्तकालय।
21 काष्ठ संकर्म और फर्नीचर उद्योग।
22 प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राविधिक संस्थाएं भी सम्मिलित है।
23 तम्बाकू विनिर्माण।
24 धर्मशाला।

25 वानिकी(फारेस्ट्री) लट्ठा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उसे मण्डी में ले जाना भी है।
26 दुकानों में
27 वाणिज्य अधिष्ठानों में।
28 चावल मिल, आटा मिल या दाल मिल।
29 तेल मिल।
30 लोक मीटर परिवहन।
31 यांत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32 आटोमोबाइल रिपेयर्स कर्मशाला।
33 सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संक्रियाओं।
34 पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने।
35 घिकन के कार्य।
36 दियासलाई उद्योग।
37 आइसकैण्डी/आईसक्रीम विनिर्माणशाला।
38 बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
39 बर्फ विनिर्माणशाला।
40 एस्बेस्टस सीमेन्ट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।
41 लाण्ड्री और धुलाई अधिष्ठान।
42 जिल्दसाजी।
43 कोल्ड स्टोरेज।
44 पाटरी, सिरेमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
45 निजी मुद्रणालय।
46 सिनेमा उद्योग।
47 कपड़ा छपाई।
48 सिलाई उद्योग।
49 ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मेसी।
50 क्लब
51 हथकरघा(सिल्क की साड़ी बुनाई) जरी के कार्य।
52 कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का चूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
53 ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान
54 खाण्डसारी।
55 हथकरघा उद्योग।
56 शक्ति चालित करघा उद्योग।
57 छोटा(मिनिएचर) बल्ब एवं कॉच उत्पादों के निर्माण।
58 कागज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
59 ईट भट्ठा उद्योग।
60 ताला उद्योग के नियोजन में।
61 पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
62 किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिनमें हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
63 बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिशेध) अधिनियम 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध क्रिया–कलाप सम्मिलित नही है।
64 घरेलू कामगारों का नियोजन।
65 कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
66 एल0पी0जी0वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
67 टैक्सीज, आटोरिक्शा/टैम्पों एवं ट्रैवलिंग अभिकरण में नियोजन।
68 केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
69 गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
70 विकय संवर्धन(विकय संवर्धन(सेवा शर्तें) अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
71 हेयर कटिंग सैलून एवं ब्यूटी पार्लर(पुरूष एवं महिलायें) में नियोजन।
72 कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73 काल सेन्टर/आई0टी0 इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
74 ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हो, में नियोजन।

16.5.2024

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 1784-90 प्रवर्तन–(एम0डब्लू0)/15 दिनांक 16/05/2024

1 विशेष सचिव,उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–3, बापू भवन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–784/36–03–2024–1805057 दिनांक: 14–05–2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉगे जाने पर उपलब्ध कराएं।
3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई–मेलwagecell@nic.in के माध्यम से
4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।
6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर),मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

## न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत कालीन उद्योग के नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा सं0–801/36–3–2013–79(न्यू0वे0)/07 दिनांक: 25–07–2013 द्वारा कालीन उद्योग के नियोजन में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ता का निर्धारण किया गया है। मजदूरी दरें मासिक आधार पर निकाली गयी है, जिसकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के योग 1/26 से कम तथा प्रति घण्टे दर, दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में कालीन उद्योग के नियोजन में(मात्रानुपाती श्रमिकों को छोडकर) नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष (2001=100) माह जुलाई 2010 से दिसम्बर 2010 के औसत 181 अंको के ऊपर प्रश्नगत वर्ष के जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 माह के औसत अंक 400 पर दिनांक: 1–04–2024 से 30–9–2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भॉति गणना करके देय होगा:–

दृष्टान्त–रूपये 4500.00/–प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक–400 पर दिनांक: 11–04–2024 से 30–9–2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(400–181)

..... X4500= रू0–5445/–प्रतिमाह

181

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी,परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत् है:–

| कर्मांक | शासनादेश वर्ष 1995 के अनुसार श्रेणियॉं | वर्तमान में संशोधित श्रेणियॉं | प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में | दिनांक: 1.10.2023 से दिनांक: 31.3.2024 तक कुल मजदूरी (मूल वेतन+महंगाई भत्ता ) | प्रतिमाह परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रूपये में | दिनांक: 1.04.2024 से दिनांक: 30.9.2024 तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | दिनांक: 1.04.2024 से दिनांक: 30.9.2024 तक | प्रतिमाह कुल मजदूरी दरें,(रूपये में) **(4+6)** | दैनिक मजदूरी दरें,(रूपये में) **(1/26)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | अकुशल | अकुशल | 4500.00 | 9597 | 5445 | 9945 | 382 |
| 2 | अर्द्ध–कुशल | अर्द्ध–कुशल | 5000.00 | 10663 | 6050 | 11050 | 425 |
| 3 | कुशल–क | कुशल | 5400.00 | 11516 | 6534 | 11934 | 459 |
| 4 | कुशल–ख | कुशल | 5300.00 | 11303 | 6413 | 11713 | 450 |
| 5 | कुशल–ग | कुशल | 5200.00 | 11090 | 6292 | 11492 | 442 |
| 6 | अतिकुशल | कुशल | 5500.00 | 11729 | 6655 | 12155 | 467 |
| 7 | लिपिक–1 | कुशल | 5400.00 | 11516 | 6534 | 11934 | 459 |
| 8 | लिपिक–2 | कुशल | 5100.00 | 10876 | 6171 | 11271 | 433 |

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।

संख्या 198-24 प्रवर्तन–(एम0डब्लू0)/15 दिनांक 16/05/2024

**प्रतिलिपि**

1 विशेष सचिव,उत्तर प्रदेश शासन, श्रम अनुभाग–3, बापू भवन, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–784/36–03–2024–1805057 दिनांक: 14–05–2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2 समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें तथा श्रमिकों, सेवायोजको व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मॉंगे जाने पर उपलब्ध करांए।
3 सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय(वेज सेल)भारत सरकार नई दिल्ली ई–मेलwagecell@nic.in के माध्यम से
4 अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु, लखनऊ।
5 उप श्रम आयुक्त(आई0आर0),मुख्यालय, कानपुर।
6 उप श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर),मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त को ईमेल के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विभागीय वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7 श्री हिमांशु कुमार, पुस्तकालयाध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।

16.5.2024

(अजय कुमार मिश्रा)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

XXXXXXXXXXXXXXXX